न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 16/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/58

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
भुण्डाराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाबर तहसील रोहट, जिला पाली		1. राजुराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी ढाबर तहसील रोहट 2. ग्राम पंचायत ढाबर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ढाबर, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

"पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 16/09/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 46/2018 बअनवान राजुराम बनाम भुण्डाराम में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल निगरानी प्रकरण संख्या 46/2018 तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण संख्या 46/2018 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में पट्टा संख्या 6602 को चुनौती दी थी, जिसमें प्रार्थी को जारी नोटिस न्यायालय द्वारा तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश के द्वारा न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 166, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 6602 को निरस्त किया गया। मूल निगरानी में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने केवल अन्डरटेंकिग ली थी उसके पश्चात वे न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुये और अधिवक्ता की गलती के कारण प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार मूल निगरानी पुनः रेस्टोर की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी को विधिनुसार नोटिस तामिल किया गया तथा न्यायालय द्वारा पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात आदेश पारित किया गया। प्रार्थी बावजूद

अति. जिला कलेक्टर पाली

नोटिस तामिली न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर परिक्षण करने के उपरान्त विधिनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं की है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 46/2018 बअनवान राजुराम बनाम भुण्डाराम में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को उठाया है–

1. मूल निगरानी में अप्रार्थी भूण्डाराम को जारी नोटिस विधिवत तामिल नहीं होना।
2. मूल निगरानी में अप्रार्थी भूण्डाराम को सूनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित करना।
3. मूल निगरानी में यदि अधिवक्ता की गलती हो तो उसका खामियाजा अप्रार्थी भूण्डाराम क्यों भुगते।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के प्रथम उज्र की अप्रार्थी को जारी नोटिस विधिवत तामिल की श्रेणी में नहीं आता है। इसके सम्बम्ध में मूल निगरानी प्रकरण संख्या 46/2018 का अवलोकन करने पर पाते है कि उक्त निगरानी दिनांक 21.06.2018 को दर्ज की गई तथा प्रार्थी भूण्डाराम को जारी नोटिस पर भूण्डाराम स्वयं के नोटिस प्राप्ति के सम्बन्ध में अंगुष्ठ निशान हैं। अब अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन कि नोटिस पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है इसलिये यह पूर्णतया तामिली की परिभाषा में नहीं आता है जबकि प्रकरण में नोटिस स्वयं पक्षकार द्वारा प्राप्त किया गया है और उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि न्यायालय की आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.08.2018 को अप्रार्थी भूण्डाराम स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये और भुण्डाराम की तरफ से अधिवक्ता श्री सोहनलाल ने अन्डरटेंकिग ली, यह सर्वोच्च प्रमाण है कि उन्हें न्यायालय के कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी थी। इससे यह सुस्पष्ट है कि भूण्डाराम को नोटिस पूर्णतया विधिवत तामिली होने के पश्चात ही वह नोटिस में वर्णित अगली सुनवाई तारीख को न्यायालय में उपस्थित आये यदि उक्त नोटिस उनकों तामिल नहीं हुआ होता तो भूण्डाराम को न तो विचाराधीन प्रकरण की जानकारी होती और न ही उक्त प्रकरण में सम्बन्ध में वह न्यायालय में उपस्थित होने समर्थ हो पाते। अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन पूर्णतः असत्य है। इसलिये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उठाये गये उज्र प्रमाणित व वास्तविक तथ्यों से परे होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी के द्वितीय उज्र की मूंल निगरानी में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्रवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया। मूल निगरानी में न्यायालय की आदेशिका अनुसार अप्रार्थी जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी है, को दिनांक 13.08.2018 को नोटिस तामिल होने के पश्चात अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति दी, उसके पश्चात उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने हेतु

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 12.07.2021 को एकपक्षीय बहस सुनी गयी अर्थात् भूण्डाराम को नोटिस तामिल होने के पश्चात् 2 वर्ष 10 माह 30 दिवस पश्चात् एकपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया। अब यदि अधिवक्ता प्रार्थी यह कहे कि उन्हें सुनवाई हेतु पर्याप्त नहीं दिया तो वह उचित प्रतीत नहीं होता। पक्षकार को दिनांक 13.08.2018 को नोटिस तामिल हो चुका था, इसका तात्पर्य है कि उसे न्यायालय में चल रही कार्यवाही की जानकारी विधिवत रूप से थी तथा न्यायालय द्वारा निर्णय देने से पूर्व लगभग 2 वर्ष 11 माह का समय दिया गया और यदि उस समयावधि में पक्षकार या उसने अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, तो यह उनकी लापरवाही मानी जाएगी। इसके साथ ही सी.पी.सी. के आदेश 9 नियम 6 और 7 के अनुसार, "यदि पक्षकार अनुपस्थित रहता है और उसने पहले उपस्थिति दर्ज कराई हो, तब भी यदि वह आगे की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है, तो न्यायालय एकपक्षीय निर्णय पारित कर सकता है।" जब निर्णय पूर्व में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार पारित किया गया हो और पक्षकार को पूरा अवसर दिया गया हो, तो बाद में मात्र यह कहना कि मुझे सुनवाई का अवसर नहीं मिला, यह स्वीकार्य नहीं होता। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 12.07.2021 को पारित एकपक्षीय निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत, न्यायोचित और प्रक्रियानुसार है क्योंकि जिस दिन अप्रार्थी भूण्डाराम स्वयं उपस्थित हुये और उनके अधिवक्ता ने अन्डरटेकिंग ली उस दिन के बाद से लगातार कई तिथियों पर न्यायालय में सुनवाई हुई लेकिन ना तो पक्षकार और ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये। यह दिखाता है कि पक्षकार ने स्वयं कार्यवाही से दूरी बनाई, न कि उसे अवसर नहीं मिला अर्थात् न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र कि मूल निगरानी में अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित रहे इसलिये भूण्डाराम को सुनवाई का अवसर नहीं मिला इसलिये अधिवक्ता की गलती का खामियाजा वे क्यों भुगते। इस सम्बन्ध में जब पक्षकार स्वयं न्यायालय में उपस्थित होता है, तो यह मान लियां जाता है कि उसे मुकदमें की कार्यवाही की पूरी जानकारी है। इसके बाद यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाए रखे और मुकदमे की स्थिति की निगरानी करता रहे। जब अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होता है कि तो वह पक्षकार की सहमति और निर्देश से ही हुआ होगा। अब अगर अधिवक्ता अनुपस्थित रहता है, तो यह पक्षकार का कर्त्तव्य है कि वह समय रहते उसे बदले या न्यायालय को सूचित करे। हस्तगत प्रकरण की मूल निगरानी में न्यायालय में एक बार उपस्थित होने के पश्चात किसी भी तारीख को ना तो पक्षकार, ना ही कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ, जो कि स्वयं प्रार्थी भूण्डाराम के अधिवक्ता द्वारा स्वीकृत तथ्य है। इतनी लम्बी अवधि तक निष्क्रिय रहना यह दिखाता है कि पक्षकार ने खुद भी अपने मामले में रूचि नहीं ली। यह जरूरी नहीं कि हर बार न्यायालय व्यक्तिगत रूप से बुलाए, एक बार नोटिस और उपस्थिति हो जाए, तो उसके बाद पक्षकार को खुद अपडेट रहना होता है। माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई पक्षकार अपने केस में सतर्क नहीं रहता और उसका अधिवक्ता लापरवाही करता है, तो उसका पूरा दोष केवल अधिवक्ता पर नहीं डाला जा सकता।

अति. जिला कलेक्टर पाली

पक्षकार को भी उसकी निष्क्रियता का दण्ड भुगतना पड़ सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 1976 (1) SCC 719 State of Punjab vs Shamlal Murari में यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्षकार अपने अधिवक्ता के काम से संतुष्ट नहीं है, तो वह समय रहते अधिवक्ता बदल सकता है, लेकिन लम्बे समय तक निष्क्रिय रहकर फिर गलती का बहाना नहीं बना सकता। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त (2022) 5 SCC 723 Beni Prasad vs State of U.P. के निर्णय में कोर्ट ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Prasad "It is not open for a litigant to blame his advocate after several years of inaction.""Once the opportunity is lost due to prolonged negligence, court cannot restore such lost chance merely on sympathy." इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त (1993) 2 SCC 185 Salil Dutta vs T.M. and M.C. Pvt. Ltd. में अंकित किया कि "Mistake or negligence of an advocte cannot be treated as sufficient cause unless it is bonafide and not a device to cover ulterior motives." इसी तरह (1981) 2 SCC 788 Rafiq & Another vs Munshilal & Another में न्यायालय ने यह भी कहा कि हर स्थिति में अधिवक्ता की गलती को माफ नहीं किया जा सकता। यदि गलती जानबूझकर की गई हो या लम्बे समय तब लापरवाही हो, तो पक्षकार को राहत नहीं मिल सकती। उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर हूबहू चस्पा होते है। लिहाजा सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र में अंकित सभी तर्क जैसे नोटिस की तामिली, सुनवाई का अवसर नहीं मिला, अधिवक्ता अनुपस्थित रहा, ये सभी तथ्य न्यायालय के रिकार्ड और मूल पत्रावली के पूर्णतः विपरीत है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अभिलेखों से पूर्णतः असंगत हैं तथा वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास मात्र हैं। किसी भी प्रकार की नई साक्ष्य, स्पष्ट त्रुटि अथवा विधिसम्मत आधार प्रस्तुत न करने के कारण यह रिव्यू याचिका केवल प्रक्रिया का दुरूपयोग है। वास्तविकता यह है कि अपीलाधीन निर्णय पारित होने से पूर्व न्यायालय द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रंक्रिया का पालन किया गया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पूर्ण पालन हुआ है। न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निगरानी संख्या 46/2018 में समस्त विधिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार के तथ्य एवं विधि की भूल दृष्टिगोचर नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 46/2018 बअनवान राजुराम बनाम भुण्डाराम में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार, पाली में भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली